निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

वाद संख्याः— 08 /22 दर्ज तिथिः—

आभा पत्नि अजय जाति मीना निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज. हाल क्वाटर नं.9 ए निर्माण विहार केम्प पुणे जिला पूना महाराष्ट्र ।

प्रार्थी

बनाम

1 कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवास कमोलर तहसील सांगोद
2. बिरधीलाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवास कमोलर तहसील सांगोद
3. गीता बाई पुत्री हीरालाल पत्नि छीतरलाल जाति माली निवास कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा हाल नि. राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
4. पार्वती बाई पुत्री हीरालाल पत्नि कल्याण जाति माली निवास कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा हाल नि.बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान ।
5. रत्तीबाई पुत्री हीरालाल पत्नि मांगीलाल जाति माली निवास कमोलर हाल नि. खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जर्य तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकार कानून 1955 कृषि आराजी मे रास्ता बाबत

उपस्थित :—

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि— प्रार्थीया के खाते की एवम् कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कमोलर तह०सांगोद जिला कोटा की संवत 2073 से 2076 की खेवट खतोनी संख्या नई 123 पुरानी 127 की खसरा नं. 1109 की 0.0400 हेक्टर, खसरा नं. 499 की 0.9100 हेक्टर, खसरा नं. 634 की 0.4900 हेक्टर, खसरा नं. 635 की 0.2800 हेक्टर, खसरा नं.636 की 0.4000 हेक्टर, खसरा नं. 637की 0.6000 हेक्टर, खसरा नं. 638की 0.3300 हेक्टर, आराजी सामलाती स्थित हे ।

चरण सख्या 1 मे वर्णित आराजी के खसरा नं.634 व 635 मे आवागमन का कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हे जिसके कारण प्रार्थी की उक्त आराजी पडत रहने की स्थिति में हे। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 की आराजी के ओर सरकारी रास्ता की भूमि ग्राम कमोलर की खसरा नं.729 की 0.5600 हेक्टर ओर खसरा नं.688 की 0. 2400 हेक्टर आराजी जो गैर मुमकिन रास्ता हे जिसमे ग्रेवल सडक बनी हुई हे जो कमोलर से दिल्लीपुरा गाव को जाती हे प्रार्थीया की आराजी व आम रास्ते के बीच अप्रार्थी 1 ता5 के खाते की आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 32 पुरानी 28 की खसरा नं. 633 की 0.4800हे. आराजी अन्य खसरा नं. के साथ स्थित हे यदि अप्रार्थी 1 ता 5 के खाते की आराजी खसरा नं. 633 की 0.4800 हेक्टर आराजी मे से 0.02 हेक्टर पूर्वी दिशा की आराजी रास्ते के रूप मे दर्ज कर दी जाती तो प्रार्थीया चरण संख्या 2 की आराजी मे सरकारी रास्ते की खसरा नं. 729 की आराजी के मध्य आवागमन में परेशानी का सामना नही करना पडेगा अप्रार्थी 1 ता 5 प्रार्थी. को उक्त आराजी मे पूर्व की तरह निकलने मे परेशान करते हे प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार समझाया लेकिन समझ नही रहे प्रार्थी ने अप्रार्थी को रास्ते की भूमि का डी.एल.सी.दर से प्रतिफल राशि अदा करने को तत्पर है किन्तु अप्रार्थीगण 1 ता 5 प्रतिफल की राशि लेकर रास्ते की भूमि को रास्तें के रूप में छोडने को तैयार नही हे जिसके कारण माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की आराजी व रास्ता माल ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त होने से अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हे कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व निम्न आश्य की आज्ञा पारित फरमाई जावे कि:—माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सागोद जिला कोटा की खसरा न.633 की 0.4800हे. आराजी मे से पूर्वी मेड के सहारे 0.0200 हे. आराजी को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि के प्रतिकर की राशि रूबरू अदालत प्रार्थीया से प्राप्त करने हेतु आदेशित किया जावे तथा अदम प्राति प्रतिकर राशि जी.ए.55में जमा करवाने के आदेश पारित फरमाये जावे। माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सागोद जिला कोटा की खसरा न 633 की आराजी के पूर्वी मेड के सहारे 0.0200 हे. आराजी मे प्रस्तावित रास्ते मे होकर खसरा नं. 634, 635 मे जाने वाले प्रार्थीया के कृषि यन्त्रो को लाने ले जाने व प्रार्थीया को कृषि उपज लाने ले जाने मे किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत क्षति बाधा आदि कारित नही करे ऐसा ना तो अप्राथीगण करे ओर ना किसी अन्य से करवावे अन्य न्योचित सहायता प्रार्थी पाने की हकदार हो वह दिलाये जाने का निवेदन है।

उक्त आवेदन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी क्र. 1, 2 ने इस आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नंबर 634 की 0.46 हैक्टर आराजी है जिसमें पूर्वी मेड़ के सहारे 0.02 हैक्टर आराजी में पगडण्डी रास्ता है जो प्रार्थी के आने में जाने का परम्परागत रास्ता है जो प्रार्थी के खेत में जाने का परम्परागत एवं वर्तमान में काफी भी रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा है। अप्रार्थीगण के खाते की भूमि पर गलत तथ्य बताकर प्रार्थी नया रास्ता कायम कराना चाहता है और न ही वहां पर रास्ते के कोई निशान मौजूद है। उक्त कृषिभूमि अप्रार्थी के खाते की भूमि है जिसमें प्रतिकर की राशि जमा कराने का कोई सवाल नहीं उठता है। मौजा ग्राम कमोलर तहसील सांगोद के खसरा नंबर 633 की आराजी अप्रार्थीगण के खाते की आराजी है। खसरा नंबर 634 व 635 में कृषियन्त्र को लाने ले जाने व प्रार्थी के आने जाने का रास्ता होना गलत अंकित कर रहा है। प्रार्थी बदनियतिपूर्वक नया रास्ता कायम कराना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सहर्च खारिज फरमाया जावे। शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

राज्य सरकार की ओर से पेशकार तहसीलदार सांगोद द्वारा इस आवेदन का जवाब मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नंबर 633 रकबा 0.48 में से वर्तमान में रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है। यदि प्रार्थी को खसरा नंबर 633 की पूर्वी मेड़ में से 4 मीटर रास्ता दिया जाता है तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0. 0.312 हैक्टर होगा तथा यदि खसरा नंबर 641 एवं 685 के मध्यवाली मेड़ में से 4 मीटर का रास्ता दिया जाता है तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.0144 हैक्टर होगा। प्रस्तावित रास्ता मुख्य सड़क से 600मीटर से कम दूरी पर स्थित है जिसकी डीएलसी रेट 24,84,741/-रुपये प्रति हैक्टर तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता मुख्य सड़क से 600मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है जिसकी डीएलसी रेट 12,42,449/-रुपये प्रति हैक्टर है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने में भी सहमति जतायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आवागमन करने का वादग्रस्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी एक दूसरे से लगी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में प्रस्तावित रास्ते में

वाली अप्रार्थी 1 लगायत 5 के खाते की खसरा नंबर 633 रकबा 0.48 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर पूर्वी भूमि के बदले प्रतिकर राशि के बजाय उतने ही क्षेत्रफल की प्रार्थी के खाते की खसरा नंबर 634 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर दक्षिणी भूमि को अप्रार्थी की आराजी से संलग्न बतौर प्रतिफल देना उचित समझती हूं। ऐसी परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण उक्तानुसार स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नंबर 633 रकबा 0.48 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर पूर्वी भूमि को "गै.मु.रास्ता" घोषित किया जाता है तथा इसके प्रतिकर के बदले में खसरा नंबर 634 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर दक्षिणी भूमि का अप्रार्थी कं. 1 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, सांगोद की मौका रिपोर्ट को निर्णय का अभिन्न हिस्सा मानकर पढ़ा जावे। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर मौके पर रास्ता खुलासा कर प्रार्थी का आवागमन बहाल करे। तदनुसार पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 13-3-26 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद